

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 136-2024/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2024 (BHADRA 14, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 सितम्बर, 2024

संख्या 9/4/2024—2 गृह शाखा II.— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु निम्नलिखित अध्यक्ष तथा सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक प्राधिकरण का गठन करते हैं, अर्थात् :—

1	माननीय न्यायमूर्ति श्री के. सी. पुरी, (सेवानिवृत्त) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय	अध्यक्ष
2	माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती राज राहुल गर्ग, (सेवानिवृत्त) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय	सदस्य
3	श्री पवन गिरधर, अपर महाधिवक्ता, हरियाणा	सदस्य

प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों के अन्य निबन्धनों तथा शर्तों को अलग से जारी किया जाएगा।

अनुराग रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 5th September, 2024

No. 9/4/2024-2HG-II.— In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 45 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (Central Act 37 of 1967), the Governor of Haryana hereby constitute an authority consisting of the following Chairperson and members for the purposes of the said Act, namely:-

1.	Hon'ble Mr. Justice K.C. Puri, (Retd.) Punjab and Haryana High Court	Chairperson
2.	Hon'ble Mrs. Justice Raj Rahul Garg (Retd.) Punjab and Haryana High Court	Member
3.	Sh. Pawan Girdhar, Additional Advocate General, Haryana	Member

The other terms and conditions of the Chairperson and members of the authority shall be issued separately.

ANURAG RASTOGI, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Home Department.

11268—C.S.—H.G.P., Pkl.